

कृपया परिपत्र सं- 1920088 दिनांक 22-02-2020

पत्र संख्या/946/पंजीयन अभियान/भवन किराये पर कर/सूचना-प्रारूप/2019-20/आर-601 वाणिज्य कर।
प्रेषक,

कमिश्नर,

वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर,

वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

लखनऊ: दिनांक: 22 फरवरी, 2020

विषय:- मा० मुख्यमंत्री जी द्वारा दिनांक 12 एवं 20 नवम्बर, 2019 को की गयी वाणिज्य कर विभाग के जोनल/सम्भागीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक के सम्बन्ध में शासन द्वारा वांछित आख्या के क्रम में जारी परिपत्र संख्या 946 दिनांक 20 फरवरी, 2020 के संबंध में शुद्धिपत्र/स्पष्टीकरण।

कृपया उक्त विषयक शासन के पत्र सं०- 244/11-2-2020-9(1)/2020टी०सी०-1 दिनांक 18 फरवरी, 2020 के क्रम में वांछित सूचना उपलब्ध कराये जाने विषयक मुख्यालय के परिपत्र संख्या- 946/पंजीयन अभियान/भवन किराये पर कर/सूचना-प्रारूप/2019-20/आर-601 वाणिज्य कर दिनांक 20 फरवरी, 2020 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

मुख्यालय से जारी उक्त परिपत्र के बिन्दु संख्या-2 में अंकित अंश "Central Government, State Government, Union territory or Local authority द्वारा किसी Business Entity को दी जाने वाली immovable property की Renting Services रिवर्स चार्ज बेसिस पर करयोग्य हैं" में "Business Entity" अंकित होना त्रुटिपूर्ण है। अतः उक्त संदर्भित अंश में "Business Entity" के स्थान पर "Registered Business Entity" पढा जाए।

उक्त के आलोक में मुख्यालय से जारी परिपत्र दिनांक 20.02.2020 के बिन्दु संख्या-2 की अंतिम 3 पंक्तियों में अंकित अंश (उल्लेखनीय है..... अनिवार्य है।) तथा इस परिपत्र के साथ संलग्न प्रारूप-2 के कॉलम-2 तथा कॉलम-5 से संबंधित सूचनाएं Relevent नहीं है। उक्त समस्त तथ्यों के आलोक में प्रारूप संख्या-2 निम्नवत् संशोधित किया जाता है-

प्रारूप-2 (Reverse charge basis पर करदेयता) संशोधित

| RCM Basis पर करदेयता वाले भवन | RCM Basis पर कर के भुगतान हेतु दायी पंजीकृत व्यापारियों की संख्या | RCM Basis पर प्राप्त कर (वर्ष- 2019-20) |
|-------------------------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 |

कृपया वांछित सूचना पूर्व संसूचित प्रारूप-1 तथा संशोधित प्रारूप-2 में पूर्व निर्धारित तिथि दिनांक 25 फरवरी, 2020 तक ई-मेल आई०डी०- upctres1@gmail.com पर Excel format में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

यह पत्र कमिश्नर, वाणिज्य कर के अनुमोदन के उपरान्त जारी किया जा रहा है।

(संजय कुमार पाठक)

ज्वाइण्ट कमिश्नर (जी०एस०टी०)

वाणिज्य कर, मुख्यालय।

o/c